**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD**
**GOVT. OF NCT OF DELHI**
**(PARLIAMENT CELL)**
**Room No.38, Punarvas Bhawan,**
**I.P. Estate, New Delhi-110002**

**No. F/PC/AQC-102/D-** 123 **dated:** 03 **.8.2018**

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred question no. 102 dated 07/08/2018.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un-Starred question no. 102 raised by Sh. Rajesh Gupta , MLA, duly approved by the Competent Authority.

Deputy. Director(PC)
Phone No. 23378559

Copy to:-

Director(DPI) along with **150 copies.**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

पुनर्वास भवन आई.पी.इस्टेट नई दिल्ली-2

अतारांकित प्रश्न संख्याः 102

दिनांकः 07-08-2018

प्रश्नकर्ता का नामः श्री राजेश गुप्ता

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) डीयूएसआईबी जन सुविधा परिसर (सामुदायिक शौचालय) का प्रयोग जेजे बस्ती के निवासियों के लिए कब से निःशुल्क कर दिया गया है; | (क) डीयूएसआईबी जन सुविधा परिसर (सामुदायिक शौचालय) का प्रयोग जेजे बस्ती के निवासियों के लिए 01 जनवरी 2018 से निःशुल्क कर दिया गया है। |
| (ख) इन जन सुविधा परिसरों के परिचालन तथा, प्रबधन पर डीयूएसआईबी कितना बजट खर्च करता है; | (ख) इन जन सुविधा परिसरों के परिचालन तथा, प्रबंधन पर 01 जनवरी 2018से 31 जुलाई 2018 तक 23.75 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। |
| (ग) डीयूएसआईबी ने इन परिसरों का कितनी बार निरीक्षण किया और क्या वहां कोई अनियमितताएं पाई गई; | (ग) डीयूएसआईबी ने इन परिसरों के निरीक्षणों लिए दो स्वच्छ भारत मिशन टीमों का गठन किया है। ये दोनों टीमें अधिशासी अभियन्ताओं के नेतृत्व में विभाग द्वारा विकसित आनलाईन APP के माध्यम से मेम्बर एक्सपर्ट की निगरानी में इन परिसरों का दिन-प्रतिदिन निरीक्षण करती है। इन परिसरों में जहाँ अनियमितताएं पाई जाती है वहां पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अतिशीघ्र ठीक करा दी जाती है। |
| (घ) जहां अनियमितताएं पाई गई, उन परिसरों के परिचालन एंव प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के विरूध की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है? | जहां अनियमितताएं पाई गई, उन परिसरों के परिचालन एंव प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के विरूध 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। कुछ सस्थाओं के आंवटनों को निरस्त भी किया गया है। |

उप निदेशक (संसद कक्ष)

उप सचिव (प्र.शाखा) दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सरकार

1/8/17 AE(Cord)